



न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी डॉ० अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 4/2021

दायरा दिनांक : 22.01.2021

उनतान

नरेन्द्र कुमार पुत्र छीतरलाल/छीतरमल, उम्र 48 वर्ष, जाति ब्राहमण,
 निवासी खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

- 1- एकता पुत्री कालूलाल, जाति तेली, निवासी पिपलाज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 2- कौशल्याबाई पत्नी कालूलाल, जाति तेली, निवासी ग्राम पिपलाज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 3- दिनेश कुमार पुत्र कालूलाल, जाति तेली, निवासी ग्राम पिपलाज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 4- पूजा पुत्री कालूलाल, जाति तेली, निवासी ग्राम पिपलाज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 5- मोनिका पुत्री कालूलाल, जाति तेली, निवासी ग्राम पिपलाज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 6- सोनू पुत्री कालूलाल, जाति तेली, निवासी ग्राम पिपलाज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 7- शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा, शाखा खानपुर
- 8- राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार खानपुर, तहसील खानपुर

.... रेस्पोंडेंट

रमेश बहादुर सिंह पाल
 स्टेनो-(पी. ए.)

भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ० अनुपमा टेलर
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
 राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपस्थित - श्री बच्चूलाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री मनीष श्रृंगी अभिभाषक रेस्पोंडेंट नं. 1 की ओर से



निर्णय

दिनांक : 21.11.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या - 669/2020 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.03.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पिपलाज पटवार हल्का पिपलाज के माल की जमाबंदी सम्वत 2072-2075 की खतौनी संख्या नई 52 पुरानी 223 के खसरा नम्बर 1453/1876 रकबा 4 बीघा आराजी स्थित है। उक्त वर्णित आराजी के लगवा प्रतिवादी नरेन्द्र कुमार के कब्जे काश्त की आराजी स्थित है। नरेन्द्र कुमार अपने कब्जे काश्त की आराजी से लगवा वादी के खेत पर जबरदस्ती पत्थर की कोट कर कब्जा करना चाहता है, इसके लिए प्रतिवादी नरेन्द्र कुमार हमेशा वादी कालूलाल के साथ लड़ाई-झगड़ा करने पर उतारू रहता है। नरेन्द्र कुमार ने कालू के खेत पर पत्थर कोट कर कब्जा करने की नियत से दोनों पक्षों के खेतों के बीच 4 फिट चौड़ी मेड को फाड़ तोड़ कर वादी के खेत पर जबरन पत्थर कोट कर कब्जा करना चाहता है। जबकि प्रतिवादी नरेन्द्र कुमार को वादी के खेत पर पत्थर की कोट कर कब्जा करने एवं दोनों पक्षों के खेतों के बीच 4 फीट मेड को फाड़ने व तोड़ने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादी के खेत

इच्छाकर्ता

मेघा

रमेश बहादुर सिंह पाल

स्टेनो-(पी. ए.)

भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ० अनुपमा टेलर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा



व प्रतिवादी नरेन्द्र के खेत के बीच 4 फीट चौड़ी मेड पर होकर अन्य लगवा आराजी खातेदारान भी अपने पूर्वजों के जमाने से निकलते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी नरेन्द्र कुमार ने दिनांक 10.06.2016 को वादी को धमकी दी की दोनों पक्षों के खेतों के बीच 4 फीट चौड़ी मेड फाड़ने तोड़ने व वादी के खेत पर जबरन पत्थर कोट कर कब्जा करने तथा वादी को बेदखल करने से वाद कारण उत्पन्न हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया तथा ग्राम पिपलाज तहसील खानपुर की आराजी खसरा नम्बर 1453/1876 रकबा 4 बीघा के सम्बन्ध में तहसीलदार खानपुर टीम गठित करके वादी के खेत की मेड का सीमांकन करें, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री व निर्णय कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बगैर साक्ष्य लिये वादी के वाद को डिक्री कर दिया है जो कानूनन गलत है। कालूलाल ने वाद में सही तथ्यों को छिपाया है। कालूलाल की आराजी के उत्तर में अपीलांट की कोई आराजी नहीं है, न अपीलांट ने डोली का निर्माण किया है, जिस आराजी पर डोली के निर्माण के कथन किये हैं वह आराजी खसरा नम्बर 1460/1732 है जो श्रीमती शीला शर्मा के खाते, कब्जे व काश्त की है। इस आराजी से लगवा कालूलाल के खाते की आराजी की मेड भी नहीं है जिसको वाद में जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है। श्रीमती शीला शर्मा ने अपने खाते की आराजी पर डोली का निर्माण किया है। अतः शीला शर्मा को पक्षकार बनाये बगैर वाद खारिज होने योग्य है। वाद के कथनों में डोली कब बनी है यह भी साबित नहीं है। डोली काफी पुरानी है। अपीलांट ने रेस्पोंडेंट के खेत पर नाजायज कब्जा कर कोई डोली का निर्माण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो डिक्री पारित की है जिसका अनुतोष

इकणकर्ता
मेरा

रमेश बहादुर सिंह पाल

स्टेनो-(पी. ए.)

भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा



रेस्पोंडेंट ने मांगा ही नहीं है। अतः डिक्री कानून के विरुद्ध है जो निरस्त होने योग्य है। रेस्पोंडेंट वादी वाद की आड में श्रीमती शीला शर्मा के खेत पर बनी डोली को हटाना चाहता है जिसका उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वाद का निर्णय करने में सिविल प्रक्रिया के प्रावधानों का उल्लंघन करके डिक्री पारित की है जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.03.2020 निरस्त की जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय 19.03.2020 है इस तारीख के 4 दिन बाद से ही खानपुर व पूरी जिले में लोकडाउन लग गया था जो जुलाई तक चला तथा न्यायालय में पक्षकारों व एडवोकेट के प्रवेश पर रोक लगी तथा न्यायालय का कार्य भी नहीं हुआ। प्रार्थी की ओर से निर्णय व डिक्री की नकल का प्रार्थना पत्र दिनांक 31.07.2020 को पेश किया जो दिनांक 07.08.2020 को प्राप्त हुई। अतः नकल प्राप्त होने की तारीख से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोंडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांत सुनी गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोंडेंट ग्राम पिपलाज पटवार हल्का पिपलाज के माल की जमाबंदी सम्वत 2072-75 की खतौनी संख्या नई 52 पुरानी 223 के खसरा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
श्री प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ० अनुपमा टेलर
श्री-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा



नम्बर 1453/1876 रकबा 4.00 बीघा आराजी के सम्बन्ध में तहसीलदार खानपुर टीम गठित कर वादी रेस्पोंडेंट के खेत की मेड का सीमाकंन करे और यदि मौके पर अवैध पत्थर/कब्जा हो तो पुलिस इमदाद ली जाकर हटाकर पालना से अवगत कराये जाने की आज्ञा पारित की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.03.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

21/11/2022
(डॉ० अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सींगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाफ़ा दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
डॉ० अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

नरेन्द्र कुमार पुत्र
छीतरलाल/छीतरमल, उम्र
48 वर्ष, जाति ब्राहमण,
निवासी खानपुर, तहसील
खानपुर, जिला झालावाड़
.....अपीलान्ट्स

बनाम

- 1- एकता पुत्री कालूलाल, जाति तेली, निवासी पिपलाज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 2- कौशल्याबाई पत्नी कालूलाल, जाति तेली, निवासी ग्राम पिपलाज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 3- दिनेश कुमार पुत्र कालूलाल, जाति तेली, निवासी ग्राम पिपलाज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 4- पूजा पुत्री कालूलाल, जाति तेली, निवासी ग्राम पिपलाज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 5- मोनिका पुत्री कालूलाल, जाति तेली, निवासी ग्राम पिपलाज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 6- सोनू पुत्री कालूलाल, जाति तेली, निवासी ग्राम पिपलाज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 7- शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा, शाखा खानपुर
- 8- राजस्थान राज्य जर्ज्य तहसीलदार खानपुर, तहसील खानपुर

.... रेस्पोंडेंट

अपील नं. 4/2021 एवं
मु.द.नं० 669/2020

नाराजगी डिक्री अदालत - उपखण्ड अधिकारी, खानपुर
निर्णय व डिक्री दिनांक - 19.03.2020

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 18 माह 11 सन् 2022


हाजरी श्री बच्चूलाल अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से एवं श्री मनीष श्रृंगी अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोंडेन्ट नं० 1 की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :-

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.03.2020 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 21 माह 11 सन् 2022 को जारी किया गया।




(डॉ० अनुपमा टेलर)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज०)